न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सी0एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 70/2018

प्रविष्टि दिनांक – 21.06.2018

उनवान

1. महावीर पुत्र भीमा जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
2. सुवालाल पुत्र रामनाथ जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
3. गोवर्धन पुत्र रामपाल जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
4. राजेश पुत्र रामपाल जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
5. सावित्री बेवा रामपाल जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
6. केसर पुत्री गोविन्दा जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पुत्र लादु जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
7. रामदयाल पुत्र भेरू जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
8. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम सोनवा तहसील व जिला टोंक
2. हरला पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई, तहसील व जिला टोंक
3. धासी पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई, तहसील व जिला टोंक
4. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई, तहसील व जिला टोंक
5. तहसीलदार टोंक

पण प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री शिवराज चांगल– अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री योगेश व्यास– अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

दावा बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :– 28.12.2018

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार खसरा नम्बर 1700 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम सोनवा जिसका खाता 728 जमाबन्दी संवत 2072–75 में हो रखा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज भीमा,रामनाथ पि. गोविन्दा व प्राथीया नम्बर 6 केसर पुत्री गोविन्दा का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा है। उक्त भीमा एंव रामनाथ पि. गोविन्दा का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

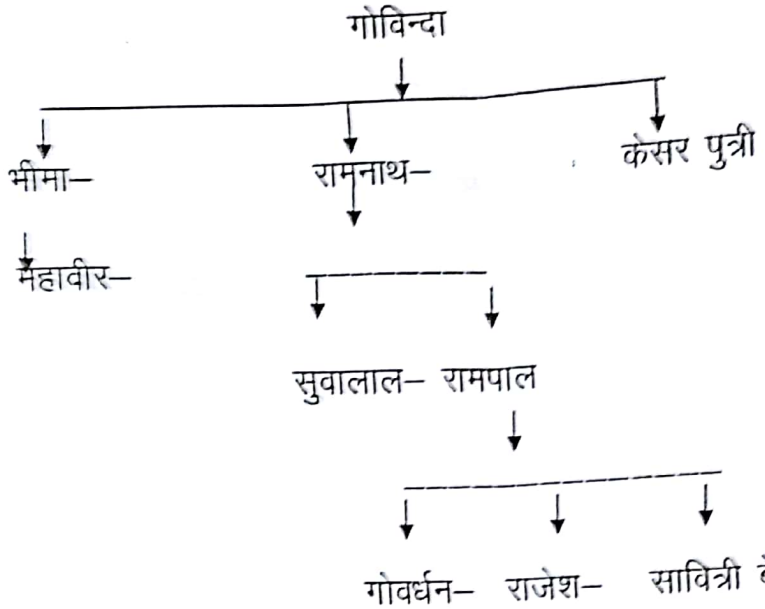

प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 उनके पूर्वज द्वारा छोडी गई उक्त भूमि के तथि प्रार्थीया सं. 6 उक्त भूमि के उक्त 1/8 हिस्से के मालिक ,स्वामी,खातेदार काबिज चले आ रहे है तथा शान्तिपूर्ण रूप से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1700 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम सोनाव तहसील टोंक का प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान ने आपस में सहामी रूप से वर्षों पूर्व ही वंटवारा कर रखा है प्रार्थीगण उक्त के पूर्वी ओर के हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का दूर भी कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। किन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है तथ उक्त भूमि जबरन निर्माण कार्य करके उक्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य में परिवर्तन करने पर आमादा रहते है। तथि वादीगण से लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है। इस कारण प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक पावन्द किया जावे की वे प्रार्थीगण की उक्त आराजी में प्रथ्रीगण के उपयोग उपभोग में रूकावट पेदा नहीं करें। उक्त भूमि या उसके किसी भू भाग में निर्माण कार्य कर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियां पेश की जिसके अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के केवल मात्र 1/8 हिस्सा है, जो भी अविभाजित है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो रखा है, जब तक विधिवत रूप से तकासमा नहीं होता, प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही होता है मौके पर प्रार्थीगण ने अपने 1/8 हिस्से से अधिक अतिक्रमण कर रखा है जिसको हडपने की नियत से झुठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी में प्रतिपक्षी का 7/8 हिस्सा है जिसके वे खातेदार काबिज काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण सहखातेदार को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। मौके पर उक्त भूमि गांव के पास स्थित है, जिससे प्रतिपक्षीगण रेगर समाज द्वारा धर्मशाला का निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य को रूकवाने के उद्देश्य से झठा व बैबुनियाद तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतितक्षीगण 7/8 हिस्से के सहखातेदार है जिनका प्रार्थीगण इस प्रकार निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। यदि खातेदारान को पाबन्द किया गया तो प्रार्थीगण की अपेक्षा प्रतिपक्षीगण को अपार अपरिमित अकथनीय हानि होगी। मौके पर विवाद बढ जायेगा प्रार्थीगण अतिक्रमण शुदा भूमि को हडपने में कामयाब हो जायेगें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये। जिनका अलग से विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण के हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। चूँकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1700 रकबा 15 बीस्वा वाके ग्राम सोनवा तहसील टोंक के प्रतिपक्षीगण भी सहखातेदार है तथा पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से तकासमा भी नहीं हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा तकासमे का दावा भी पेश नहीं किया है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वच्छ मंशा से प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिक्षीको अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। यह न्यायालय प्रार्थीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.06.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner